रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1532] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2009/आश्विन 1, 1931

No. 1532] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2009/ASVINA 1, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2009

का.आ. 2447(अ).— केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचलन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2009 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचलन) नियम, 2008 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 16 के उप नियम 5 के परन्तुक में "निर्यातक देश द्वारा प्रमाणित निरीक्षण अभिकरण" शब्दों के पश्चात् "या विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अनुमोदित निरीक्षण और प्रमाणन अभिकरण" शब्द जोड़े जाएंगे ।

3. उक्त नियमों की अनुसूची 3 के भाग ख में की प्रविष्टियों के पश्चात् और टिप्पण से पूर्व "** वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा देश में बिना किसी अनुज्ञप्ति या निर्बन्धन के आयात की अनुमति है ।" शब्दों के स्थान पर, "** वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा बिना किसी अनुज्ञप्ति या निबंधन के या रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता द्वारा देश में आयात की अनुमति है, जो ऐसे आयात के उनकी मात्राओं सहित ब्यौरे और वास्तविक उपभोक्ताओं की विशिष्टियां त्रैमासिक आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देगा ।" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 23-27/2006-एचएसएमडी]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 2265(अ.) तारीख 24 सितंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यक का.आ.1799 (अ) तारीख 21 जुलाई, 2009 द्वारा उनका पश्चातवर्ती संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2009

S.O. 2447(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6,8, and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, namely:-

1. (1) These rules may be called the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2009.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 16, in sub-rule (5), in the proviso, after the words "the exporting country", the words " or the inspection and certification agency approved by the Director General of Foreign Trade" shall be inserted.

3. In Schedule III to the said rules, in Part B, after the entries and before the Note, after the words "without any license or restriction", the words "or by importer registered with the State Pollution Control Board on behalf of the actual user who shall furnish the details of such import and particulars of the actual users along with quantities to the concerned State Pollution Control Board on a quarterly basis" shall be inserted.

[F. No. 23-27/2006-HSMD]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 2265 (E), dated the 24th September, 2008 and subsequently amended vide number S.O. 1799 (E), dated the 21st July, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.